

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में विशेष आर्थिक क्षेत्र

***305. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में वर्तमान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) कार्यशील हैं और राज्य के निर्यात में उनका क्या योगदान है;

(ख) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और खनिज आधारित उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए ओडिशा में और अधिक एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओडिशा में मौजूदा एसईजेड की दक्षता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों और नीतिगत चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“ओडिशा में विशेष आर्थिक क्षेत्र” के संबंध में दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *305 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): आज की स्थिति के अनुसार, ओडिशा राज्य में कुल 05 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को अधिसूचित और प्रचालनात्मक किया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान इन एसईजेडों से निर्यात और राज्य के निर्यातों में उनका योगदान नीचे दिया गया है:

क्रम.सं	वर्ष	ओडिशा का कुल निर्यात *(मूल्य करोड़ रुपये में)	एसईजेड का कुल निर्यात (मूल्य करोड़ रुपये में)	ओडिशा के कुल निर्यात में एसईजेड निर्यात का % हिस्सा
1.	2019-2020	47,191	11,655	25%
2.	2020-2021	75,922	13,454	18%
3.	2021-2022	1,25,778	26,367	21%
4.	2022-2023	90,188	27,166	30%
5.	2023-2024	98,781	31,332	32%

*स्रोत: निर्यात पोर्टल

(ख): एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एसईजेड मुख्यतः निजी निवेश प्रेरित पहलें हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के बाद, केन्द्र सरकार ने देश में किसी एसईजेड की स्थापना नहीं की है। वस्तुओं के विनिर्माण अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा दोनों के लिए अथवा मुक्त व्यापार भण्डारण जोन के रूप में एसईजेड की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और खनिज आधारित उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए ओडिशा में एसईजेडों की स्थापना हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ग): एसईजेड सुधार एक सतत प्रक्रिया है और यह एसईजेडों की नीति एवं प्रचालनात्मक ढांचे पर पणधारकों से प्राप्त निविष्टियों/सुझावों के आधार पर होता है। सरकार एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवधिक रूप से आवश्यक उपाय करती है।
